

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक 27826 / एम.सी. / 4 / राज / 2023

भोपाल, दिनांक 19 / 07 / 2023

अधिष्ठाता कार्यालय के पत्र क्रमांक 12529 / एमसी / 4 / राज / स्था / 2023 भोपाल दिनांक 10.04.2023 एवं 12530 / एमसी / 4 / राज / स्था / 2023 भोपाल दिनांक 10.04.2023 को जारी विज्ञप्ति में प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी पश्चात निम्न उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु पात्र पाये गये।

(1) पात्र उम्मीदवारों की सूची

क्र.	विषय	उम्मीदवार का नाम	पदनाम	श्रेणी	रिमांक
01	जनरल मेडिसिन	डॉ अरविंद चौहान	सह प्राध्यापक	अनारक्षित	पात्र
02		डॉ राजा राम बर्डे	सह प्राध्यापक	अजजा	पात्र
03		डॉ रणवीर यादव	सह प्राध्यापक	अनारक्षित	पात्र
04		डॉ प्रेक्षा द्विवेदी	सह प्राध्यापक	अनारक्षित	पात्र
05	इमरजेंसी मेडिसिन	डॉ. रवि प्रताप सिंह	सहायक प्राध्यापक	अनारक्षित	पात्र
06	रेस्पिरेटरी मेडिसिन	डॉ. विनोद कुमार कुर्मी	सहायक प्राध्यापक	अपिव	पात्र
07	रेडियोडायग्नोसिस	डॉ. उपेन्द्र सोलंकी	सहायक प्राध्यापक	अ.ज.जा	पात्र
08		डॉ राम भरत बैरवा	सहायक प्राध्यापक	अजा	पात्र
09	एनेस्थेसिया	डॉ पार्थ राय	सहायक प्राध्यापक	अपिव	पात्र
10		डॉ जितेन्द्र कुशवाहा	सहायक प्राध्यापक	अपिव	पात्र
11		डॉ राजू सिंह राठौर	सहायक प्राध्यापक	अपिव	पात्र
12	जनरल सर्जरी	डॉ मयंक बड़कुर	सहायक प्राध्यापक	अपिव	पात्र
13		डॉ राजकुमार सिंह जाट	सहायक प्राध्यापक	अपिव	पात्र
14		डॉ मुकेश कुमार धुर्वे	सहायक प्राध्यापक	अजजा	पात्र
15	कम्युनिटी मेडिसिन (पीएसएम)	डॉ इंदु ज्योत्सना इक्का	सहायक प्राध्यापक	अजजा	पात्र
16	यूरोलॉजी	डॉ अभिषेक चौबे	सहायक प्राध्यापक	अनारक्षित	पात्र
17		डॉ समीर व्यास	सहायक प्राध्यापक	अनारक्षित	पात्र
18		डॉ निकुंज जैन	सहायक प्राध्यापक	अनारक्षित	पात्र
19	किटिकल केयर मेडिसिन	डॉ. प्रवीण गुलाब दांडेकर	सहायक प्राध्यापक	अनारक्षित	पात्र

- नोट— 1. सभी पात्र उम्मीदवार साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु दिनांक. 27.07.2023 को प्रातः 9:00 बजे गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के एडमीन ब्लॉक के तृतीय तल पर मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। साक्षात्कार प्रातः 10:00 बजे से आयोजित है निर्धारित समय सीमा एवं तिथि के पश्चात् उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
2. समस्त पात्र उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे साक्षात्कार हेतु वर्तमान संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं मूल दस्तावेज लेकर उपस्थिति हो वाछिंत प्रमाण पत्रों की उपलब्धता न होने पर पात्रता निरस्त की जावेगी।
3. यदि कम्युटर तकनीकी त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि संस्था के संज्ञान में आती है, तो संस्था के पास सूची संशोधित (सुधारने) का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

समस्त श्रेणीयों के उम्मीदवारों का कम यादृच्छिद है, उनके कम का वरीयता से कोई संबंध नहीं है।

Azo  
19/07/2023

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा स्वशासी समिति महाविद्यालय, भोपाल।